<u>राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण</u>

<u>राहत के न्यूनतम स्तर पर दिशानिर्देश</u>

<u>प्रस्तावना</u>

आपदा प्रबंधन अधिनियम (धारा 12) में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को दी जाने वाली राहत के न्यूनतम स्तर के लिए दिशानिर्देशों की अनुशंसा करने हेतु अधिदेश दिया गया है जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:–

(क) राहत शिविरों (Relief Camps) में आश्रय, भोजन, पेय–जल, चिकित्सा कवर, साफ–सफाई के संबंध में प्रदान किए जाने वाली न्यूनतम आवश्यकताएं।

(ख) विधवाओं तथा अनाथ बच्चों के लिए की जाने वाले विशेष व्यवस्थाएं।

(ग) जान की हानि होने के साथ–साथ मकानों को हुए नुकसान और आजीविका के साधनों को पुनर्बहाल करने के लिए एकमुश्त सहायता।

(घ) ऐसी अन्य कोई राहत जो आवश्यक समझी जाए।

अधिनियम की धारा 19 के अनुसार, राज्य प्राधिकरण राज्य में आपदा द्वारा प्रभावित व्यक्तियों को राहत के स्तर प्रदान करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश निर्धारित करेंगे और ऐसे स्तर किसी भी स्थिति में राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किए गए दिशानिर्देशों में दिए गए न्यूनतम स्तरों से कम नहीं होंगे। इसलिए अधिनियम द्वारा दिए अधिदेश के अनुसार एनडीएमए ने आपदा द्वारा प्रभावित व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली राहत के बुनियादी न्यूनतम स्तरों को निर्धारित किया है।

उपर्युक्त दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने से पूर्व, एनडीएमए में भारत सरकार के नोडल मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न बैठकों का आयोजन किया गया जिनमें राज्य सरकारों से वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया तथा अपने बहुमूल्य विचार प्रकट किए। उपर्युक्त बैठकों के दौरान इस बात पर ध्यान दिया गया कि राज्यों द्वारा न्यूनतम स्तरों पर दिशानिर्देशों को सरल तथा कार्यान्वयन योग्य बनाए जाने की आवश्यकता है।

1. <u>राहत तथा पुनर्वास शिविर की परिभाषा :–</u>

राहत शिविरों तथा पुनर्वास शिविरों को किसी आपदा द्वारा प्रभावित लोगों को रहने की जगह उपलब्ध कराने के लिए स्थापित किया जाएगा। यह शिविर अस्थायी प्रकार का होगा जिसमें बुनियादी आवश्यक सुविधाएं होंगी। शिविर में रहने वाले लोगों को, एक बार स्थिति के सामान्य हो जाने पर, अपने निवास को लौटने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

चूँकि, राज्य सरकार/जिला प्रशासन कभी–कभी आपदा के पहले दिन से एनडीएमए द्वारा अनुशंसित सभी बुनियादी दिशानिर्देशों को कार्यान्वित करने में समर्थ नहीं होते हैं और इसलिए निम्नलिखित तरीके का पालन किया जाए:–

(क) पहले तीन दिन –––– जहां तक संभव हो बुनियादी मानदंडों का पालन किया जाए।

(ख) 04 से 10 दिन –––– इस दिशानिर्देश में एनडीएमए द्वारा अनुशंसित अधिकांश मानदंडों का पालन किया जाना चाहिए।

(ग) 11 दिनों तथा उससे अधिक समयावधि –––– एनडीएमए द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा।

इलाके, आपदा–स्थल की जलवायु परिस्थितियों आदि का भी प्रशासन तथा अन्य हितधारकों (स्टेक होल्डस्) की राहत प्रदान करने के लिए अपेक्षा तथा योग्यता पर असर पड़ेगा। राहत के न्यूनतम स्तर निर्धारित करते हुए इन बाधाओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

2. <u>राहत शिविरों में आश्रय के संबंध में न्यूनतम स्तर :–</u>

(क) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/जिला प्रशासन स्थानीय स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों/चक्रवात आश्रय केंद्रों/समुदाय केद्रों/विवाह हॉल (मैरिज हॉल) आदि जैसे स्थानों को पहले से ही तय करने (आइडेंटिफाई) के लिए आवश्यक कदम उठाएगा जिनका राहत आश्रय केद्रों के रूप में उपयोग किया जा सके ताकि लोगों को क्षेत्र में आपदा आने की स्थिति में जगह उपलब्ध कराई जा सके। ऐसे केंद्रों में, आपदाओं के दौरान आवश्यक सुविधाओं जैसे शौचालयों की पर्याप्त संख्या, जलापूर्ति, पावर बैकअप के लिए ईंधन सहित जेनरेटर की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाएगा।

(ख) किसी आपदा के बाद, प्रभावित लोगों को जगह देने के लिए एक छत वाले बड़े स्थान (कवर्ड स्पेस) की आवश्यकता होगी। अंतिम पलों में व्यवस्था और बड़े खर्च के झंझट से बचने के लिए, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कारखानों में बनाए गए ऐसे फास्ट ट्रैक प्री–फैब्रिकेटिड शेल्टर्स/टैंट/शौचालय/चल–शौचालय और मूत्रालय आदि की आपूर्ति के लिए निर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं के साथ अग्रिम समझौता ज्ञापनों के विकल्प पर विचार कर सकते हैं जिनको आपूर्तिकर्ता द्वारा शिविर की समाप्ति पर विघटित (डिसमेंटल) और वापस लिया जा सके। इस इंतजाम से शिविर की स्थापना में होने वाली देरी और अनाप–शनाप बिलों से बचा जा सकेगा।

(ग) राहत केंद्रों में, बुनियादी प्रकाश–व्यवस्थाओं सहित प्रति व्यक्ति 3.5 वर्ग मीटर का छत सहित क्षेत्र (कवर्ड एरिया) पीड़ितों को जगह देने के लिए दिया जाएगा। पहाड़ी इलाकों में न्यूनतम कवर्ड एरिया के हिस्से को उपलब्ध समतल भूमि/निर्मित क्षेत्र की कमी की वजह से कम किया जा सकता है। राहत केंद्रों में रहने वाले लोगों विशेष रूप से बच्चों, विधवाओं तथा महिलाओं, की सुरक्षा तथा निजता का विशेष ध्यान रखा जाएगा। दिव्यांगों, बूढ़ों तथा गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों के लिए विशेष इंतजाम किए जाने चाहिए।

(घ) राहत केंद्र अस्थायी प्रकृति के होंगे और क्षेत्र में सामान्य स्थिति होते ही बंद कर दिए जाएगें।

(ड.) आबादी के घनत्व के आधार पर पर्याप्त संख्या में जगहों की राहत केंद्रों के रूप में पहचान की जाएगी और किसी महानगर/शहर/कस्बे की योजना और विकास के समय काफी पहले ही ऐसी जगहों को चुन कर रखा जाएगा।

3. <u>राहत शिविरों में भोजन के संबंध में न्यूनतम स्तर :–</u>

(क) बच्चों और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए दूध और अन्य डेयरी उत्पादों की व्यवस्था कराई जाएगी। ऐसी परिस्थितियों में राहत शिविरों/आश्रय केंद्रों में रहने वाले पीड़ित व्यक्तियों (विशेष रूप से बूढ़ों तथा बच्चों के लिए) पर्याप्त मात्रा में भोजन का उपलब्ध रहना सुनिश्चित किया जाएगा।

(ख) समुदाय और शिविर के रसोई–घरों में साफ–सफाई सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाएंगे। पैक की गई खाने–पीने की चीजों पर उनके बनने तथा इस्तेमाल किए जाने की अंतिम तारीख को उनको वितरित करने से पहले ध्यान में रखा जाएगा।

(ग) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पुरुषों तथा महिलाओं को प्रति दिन न्यूनतम 2,400 किलो कैलोरी वाले भोजन की आपूर्ति की जाए। बच्चों/शिशुओं के संबंध में दिए जाने वाले भोजन की आपूर्ति 1,700 किलो कैलोरी प्रति दिन होगी।

4. <u>राहत शिविरों में जल–व्यवस्था के संबंध में न्यूनतम स्तर :–</u>

(क) राहत शिविरों में व्यक्तिगत साफ–सफाई और हाथ धोने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध कराया जाएगा।

(ख) यह सुनिश्चित किया जाए कि राहत शिविरों में प्रति व्यक्ति प्रति दिन 3 लीटर पेय–जल की न्यूनतम आपूर्ति उपलब्ध रहे। इसके अलावा, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/जिला प्राधिकरण क्षेत्र की भौगोलिक, जनसांख्यिकीय और सामाजिक प्रथाओं के अनुसार जल की न्यूनतम मात्रा समायोजित (एडजस्ट) करेंगे। सुरक्षित पेय–जल उपलब्ध कराने के लिए यदि अन्य साधन संभव न हो तो कम–से–कम पानी को दो बार क्लोरीन–युक्त करके साफ करने की प्रक्रिया को सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

(ग) पर्याप्त जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जलापूर्ति के स्रोत का स्थान अधिमानतः राहत शिविर/राहत आश्रय केंद्र के परिसरों में होना चाहिए। यदि, नल के माध्यम से पानी की जलापूर्ति उपलब्ध हो तो राहत शिविर से निकटतम जल वितरण केंद्र (वाटर प्वाइंट) की दूरी 500 मीटर से अधिक नहीं होगी।

5. राहत शिविरों में साफ–सफाई के संबंध में न्यूनतम स्तर :–

(क) शौचालयों की संख्या :– 30 व्यक्तियों के लिए एक शौचालय की व्यवस्था/निर्माण किया जाए। महिलाओं तथा बच्चों के लिए अलग शौचालय तथा नहाने की जगह की व्यवस्था की जाए। शौचालय/नहाने के प्रयोजन के लिए कम–से–कम 15 लीटर जल प्रति व्यक्ति की व्यवस्था करना जरूरी है। शौचालयों में हाथ धोने की सुविधा सुनिश्चित की जाए। बीमारी को फैलने के नियंत्रण के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। महिलाओं के लिए उचित लेबल के साथ सेनिटरी नैपकिन तथा डिस्पोजेबल पेपर बैगों के साथ डिग्निटी किटों की व्यवस्था की जाएगी।

(ख) शौचालय की दूरी राहत शिविरों से 50 मीटर से अधिक की नहीं होगी। गड्ढे वाले संडास (पिट लैट्रीन) और सोक–एवेज किसी भूमि जल स्रोत से कम–से–कम 30 मीटर दूर होंगे और किसी संडास के निचले हिस्से का जल स्तर के 1.5 मीटर ऊपर रखा जाना है।

(ग) नाली या मलत्याग प्रणाली से निकलने वाला गंदा पानी धरातली जल स्रोत या छिछले/उथले भूमि जल स्रोत की तरफ बहकर नहीं जाना चाहिए।

6. राहत शिविरों में चिकित्सा कवर के संबंध में न्यूनतम स्तर :–

(क) आपदा पीड़ित लोगों को देखने के लिए चल चिकित्सा टीमें राहत केंद्रों का दौरा करेंगी। संक्रामक रोगों को फैलने से बचाने के लिए उपाय किए जाएंगे।

(ख) यदि राहत शिविर की अवधि को लंबे समय के लिए बढ़ाया जाता है तो मनो–सामाजिक इलाज के लिए जरूरी इंतजाम किए जाएंगे।

(ग) हेल्पलाइन की व्यवस्था की जाएगी और उसकी संपर्क संख्या तथा विवरण को राहत/आश्रय केंद्रों में प्रदर्शित किया जाएगा और लोगों को सूचना देने के लिए इसका पर्याप्त प्रचार किया जाएगा।

(घ) गर्भवती महिलाओं के लिए, उनकी सुरक्षित डिलीवरी हेतु स्थानीय प्रशासन द्वारा जरूरी बुनियादी इंतजाम किए जाएंगे।

(ड.) सरकारी/निजी अस्पतालों के साथ अग्रिम संपर्क/व्यवस्था करके रखी जाएगी ताकि आवश्यक डॉक्टर/पैरा–मेडिकल स्टॉफ आपदा पीड़ित लोगों को देखने के लिए राहत शिविरों में अल्प–सूचना पर उपलब्ध रहें। प्रभावित लोगों तथा अस्पतालों को इलाज/ऑपरेशन आदि के लिए भेजे जा रहे लोगों को अस्पतालों तक पहुंचाने के लिए उचित वाहन व्यवस्था की जाएगी।

(च) किसी आपदा के होने पर बड़ी संख्या में हताहतों के प्रबंधन के लिए हताहत बहुल प्रबंधन हेतु अग्रिम आकस्मिकता योजनाएं विकसित की जाएंगी।

7. <u>विधवाओं तथा अनाथ बच्चों के लिए राहत के न्यूनतम स्तर :–</u>

(क) प्रत्येक शिविर में, उन महिलाओं जो विधवा हैं, और उन बच्चों जो आपदा के कारण अनाथ हो गए हैं, के ब्यौरे को दर्ज करने के लिए एक अलग रजिस्टर बनाया जाएगा। रजिस्टर में सम्पूर्ण ब्यौरा, संबंधित अधिकारी द्वारा विधिवत् प्रतिहस्ताक्षर कराने के बाद, दर्ज किया जाएगा और यह रजिस्टर एक स्थायी रिकॉर्ड के रूप में जिला प्रशासन के पास रखा जाएगा।

(ख) विधवाओं तथा अनाथ बच्चों जो अपने परिवारों से विछड़ गए हैं, पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। विधवा के लिए, जिला प्रशासन द्वारा एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा कि आपदा में उसके पति की मृत्यु हो गई है और यह प्रमाण पत्र आपदा होने के 15 दिनों को अंदर जारी किया जाएगा।

(ग) चूँकि, विधवा/परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हालत में होगा, इसलिए राज्य प्रशासन उसे उसके पति के अंतिम संस्कार के लिए एक उचित राशि प्रदान करेगा और यह राशि आगामी आर्थिक मुआवजा/राहत जो कि सरकार द्वारा उनको मिलेगी, में से काट ली जाएगी।

(घ) विधवा तथा अनाथ बच्चे को आवश्यक आर्थिक मुआवजा और अन्य सरकारी सहायता की व्यवस्था आपदा होने के 45 दिनों के अंदर किए जाने की जरूरत है। अनाथ बच्चों के मामले में ऐसा ही प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा और बच्चों का उचित प्रकार से ध्यान रखा जाना जरूरी है और सरकार द्वारा बच्चों को दिए जाने वाले फंडों की राशि को एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के बैंक में एक संयुक्त खाते में विधिवत् जमा कराया जाएगा जहां बैंक खाते में कलक्टर/डिप्टी कलक्टर पहले खाताधारक होगें। फंड से मिलने वाला ब्याज प्रति माह बच्चे/संरक्षक को उस बच्चे/बच्ची की उचित देख–भाल के लिए दिया जा सकता है। बच्चे की शिक्षा को जिला/स्थानीय प्रशासन द्वारा सुनिश्चित कराया जाएगा।

(ड.) जहां तक जान की हानि होने और मकानों के नुकसान तथा आजीविका के साधन की पुनर्बहाली हेतु एकमुश्त सहायता का संबंध है, राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) से सहायता के लिए भारत सरकार (गृह मंत्रालय) द्वारा प्रदत मानदंड राहत के न्यूनतम स्तर होने चाहिए।

****